

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II के खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 72/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) का तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतत् द्वारा भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 461 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“461 क	8448	निम्नलिखित वस्तुएं, यथा:- (i) हाई स्पीड डॉबी, मेकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक (300 आरपीएम या उससे अधिक) (टैरिफ मद 8448 19 00); (ii) हाई स्पीड जैक्वार्ड, मेकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक (300 आरपीएम या इससे अधिक) (टैरिफ मद 8448 19 00); (iii) ऑटोमेटिक यार्न स्प्लाइसर्स, ऑटोमेटिक कोन वाइन्डर्स के लिए (टैरिफ मद 8448 32 90);	शून्य	-	-”

	<p>(iv) स्पिन्डल मोटर, ऑटोमेटिक कोन वाइन्डर्स के लिए (टैरिफ मद 8448 32 90);</p> <p>(v) गुव्ड वाइंडिंग ड्रम्स ऑटोमेटिक कोन वाइन्डर्स के लिए (टैरिफ मद 8448 32 90);</p> <p>(vi) कम्पैक्ट स्पिनिंग अटैचमेंट (टैरिफ मद 8448 39 90);</p> <p>(vii) एयर जेट वेफ्ट इन्जर्शन मेकेनिज्म जिसमें रिले नोजल्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोल लगे हों (शीर्ष मद 8448 42 90);</p> <p>(viii) वाटर जेट वेफ्ट इन्जर्शन सिस्टम, जिसमें वाटर स्पलाई मेकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोल लगे हों (टैरिफ मद 8448 42 90);</p> <p>(ix) प्रोफाइल रीड, एयर जेट या वाटर जेट लूम के लिए (टैरिफ मद 8448 42 90);</p> <p>(x) रेपियर टेप, रेपियर हेड या रेपियर ड्राइव व्हील (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xi) वेफ्ट फीडर्स चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोलिंग मेकेनिज्म लगा हो या नहीं (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xii) एक्यूमूलेटर्स चाहे उसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोलिंग सिस्टम लगा हो या नहीं (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xiii) वेफ्ट सेलेक्टर्स, प्रोग्रामरयुक्त (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xiv) इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट स्टॉप मोशन, (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xv) सीएएम, सीएएम बीट-अप रेपियर लूम के लिए, (टैरिफ मद 8448 49 90);</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		(xvi) इलेक्ट्रॉनिक टेक अप मोशन, जिसमें सर्वो मोटर कन्ट्रोल लगा हो (टैरिफ मद 8448 49 90); (xvii) इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ मोशन जिसमें सर्वो मोटर कन्ट्रोल लगा हो (टैरिफ मद 8448 49 90).			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

[फा.सं. 354/327/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 68/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, सा.का.नि. 928 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।